भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2032
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

हिन्दी और स्थानीय भाषा का उपयोग

2032. श्री हरनाथ सिंह यादव :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विधि प्रणाली में राजभाषा हिन्दी तथा समस्त भारतीय मातृभाषाओं में छात्रों को शिक्षा देने की कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा विधि प्रणाली अर्थात् उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों और उच्चतर न्यायिक प्राधिकरणों की कार्यवाही राजभाषा हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक मातृभाषाओं में करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्च शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अपने पैरा 20.4 में कथन करती है कि "विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है, साथ ही इस क्षेत्र से संबंधित बेहतरीन प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और नयी तकनीकों को अपनाया जाएगा, जिससे कि सभी के लिए और सही समय पर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके । साथ ही इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों से संवर्धित एवं उनके आलोक में बनाया जाना चाहिए और लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिक शिक्षा के पाठयक्रम में सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भो के साथ-साथ साक्ष्य–आधारित तरीके से, विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिद्धातों, न्यायशास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विषयों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो । विधिक शिक्षा की पेशकश करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा की पेशकश पर विचार करना चाहिए, जिसमें एक भाषा अंग्रेजी और दूसरी उस राज्य की भाषा हो, जिसमें यह विधिक शिक्षा संस्था स्थित है ।"

(ग) और (घ) : गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संबंध में सामर्थ्यकारी संवैधानिक और विधिक उपबंध पहले से ही है । संविधान के अनच्छेद 348 और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार, न्यायालयों की कार्यवाहियों और निर्णयों, इत्यादि में हिंदी और अन्य भाषाओं (भारतीय संविधान की 8 वीं अनुसूची में भाषाएं सम्मिलित हैं) के वैकल्पिक प्रयोग के उपबंध हैं ।

उपर्युक्त उपबंधों के अधीन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी के वैकल्पिक प्रयोग को क्रमश: वर्ष 1950, 1969, 1971 और 1972 में प्राधिकृत किया गया था ।

****